

पत्रांक:
सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
सीतापुर।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330डी0 के कि0मी0 33.200 से 38.800 तक (सीतापुर-हरदोई मार्ग) के अन्तर्गत दोनों पटरी पर सीतापुर वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वन भूमि की डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2110/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/146875/2021 दिनांक 22.12.2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित परियोजनाओं में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में भूमि की उपलब्धता भारत सरकार के मानक 0.4 घनत्व से कम भूमि वृक्षारोपण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल के लिए विभाग के आई0टी0 सेल से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव में क्षतिपूरक प्रतीकरण हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, मिश्रिख द्वारा निम्न प्रकार स्थलों का चयन किया गया है-

क्र0	चयनित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0)
1	बीकासुरग्रन्ट वन खण्ड	5.00
2	चन्द्रावल वन खण्ड	5.00
3	गौरिया वन खण्ड	10.00
4	मलिनिया वन खण्ड	5.00
5	कोडरी वन खण्ड	5.00
6	गन्धरिया वन खण्ड	8.00
7	ढाँखिया वन खण्ड	5.00
8	मानपुर वन खण्ड	5.00
9	फतानगर वन खण्ड	5.00
10	कुर्माग्रन्ट वन खण्ड	5.00

अतः आप विभाग इस आशय से प्रेषित है कि आप कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, प्रभाग, मिश्रिख नगर, लखनऊ से सम्पर्क कर उक्त स्थलों का डी0एस0एस0 एनालिसिस करवाकर रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। डी0एस0एस0 एनालिसिस हेतु प्रस्तावित स्थलों के जी0पी0एच0 कॉर्डिनेट एवं के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 पत्र के साथ इस पत्रांक 2110/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/146875/2021 दिनांक 29.03.2023 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया जा रहा है।

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक:
सेवा में,

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर
दिनांक: सीतापुर,

2023

अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
सीतापुर।

विषय: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-330डी0 के कि0मी0 33.200 से 38.800 तक (सीतापुर-हरदोई मार्ग) के अन्तर्गत दोनों पटरी पर सीतापुर वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वन भूमि की डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2110/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/146875/2021 दिनांक 22.12.2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित परियोजनाओं में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में भूमि की उपलब्धता भारत सरकार के मानक 0.4 घनत्व से कम भूमि वृक्षारोपण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल के लिए विभाग के आई0टी0 सेल से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, मिश्रिख द्वारा निम्न प्रकार स्थलों का चयन किया गया है-

क्र0	चयनित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0)
1	बीकासुरग्रन्ट वन खण्ड	5.00
2	चन्द्रावल वन खण्ड	5.00
3	गौरिया वन खण्ड	10.00
4	मलिनिया वन खण्ड	5.00
5	कोड़री वन खण्ड	5.00
6	गन्धेरिया वन खण्ड	8.00
7	ढखिया वन खण्ड	5.00
8	मामूपुर वन खण्ड	5.00
9	फतेहनगर वन खण्ड	5.00
10	कुमाँऊग्रन्ट वन खण्ड	5.00

उपरोक्त विवरण इस आशय से प्रेषित है कि आप कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, शीशम बाग, इन्दिरा नगर, लखनऊ से सम्पर्क कर उक्त स्थलों का डी0एस0एस0 एनालिसिस कराकर रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। डी0एस0एस0 एनालिसिस हेतु प्रस्तावित स्थलों के जी0पी0एस0, कॉर्डिनेट एवं के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 पत्र के साथ इस कार्यालय के पत्रांक 5317/14-1 दिनांक 29.03.2023 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की जा चुकी है।

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर